प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 21 अक्टूबर, 2022

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र पुत्र श्री दाताराम, निवासी जनपद-मुज्जफरनगर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14458/प्रोबे0अनु0(2)-229/सला0समिति/(एम-12-04-2022), दिनांक 05.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र पुत्र श्री दाताराम, जो सोहजनी, थाना-जानसठ, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 29.05.2001 को चुनावी रंजिश को लेकर अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टो से फायर कर 04 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-856/02 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित कोर्ट संख्या-4, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 26.05.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.02.2022 तक 17 वर्ष 11 माह 17 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 01 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 12.02.2022 तक 72 वर्ष 07 माह 26 दिन है। जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर की आख्या के अनुसार बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आता है एवं मृतक का परिवार बंदी के गॉव का ही है, जिस कारण बंदी को निरूद्ध रखा जाना आवश्यक होने तथा मृतक पक्ष में आक्रोश होने की आशंका के चलते बंदी रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं, का उल्लेख करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। क्रिमिनल रिट याचिका सं0-48/2014 भारत संघ बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में पत्र दिनांक 09.02.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि बंदी राजेन्द्र पुत्र दाताराम की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित है। बंदी राजेन्द्र पुत्र दाताराम के संबंध में विधिनुमत कार्यवाही किया जाना ही विधिसम्मत होगा। सलाहकार समिति के अनुसार बन्दी ने दिनांक 29.05.2001 को चुनावी रंजिश को लेकर अपने 05 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कट्टों से फायर कर 04 व्यक्यिों की हत्या कर अपराध कारित किया गया तथा परिजनों में बदले की भावना उत्पन्न होने, बंदी की मुक्ति से किसी अप्रिय घटना होने से इंकार न किये जाने, जिला मजिस्ट्रेट व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता(हत्या) तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर की समयपूर्व रिहाई नहीं किये जाने की संस्तुति के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र पुत्र श्री दाताराम को उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र (बन्दी संख्या-9762) पुत्र श्री दाताराम, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-163/2022/1338(1)/22-2-2022 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-मुजफ्फरनगर ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।